



## डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

### (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पंत्राक: सम्बद्धन/८३३२/१२  
दिनांक: ३० / ३ / १२

सेवा मे,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक,  
सिन्हाजिया गल्ली कोर्सेज,  
महारानी बांग, बोदला, आगरा।

महोदय,

अनुसंधिय, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के प्रव सम्प्रत्यय-०-१३१/सत्तर-२-२०११-२(३२)/२०१० लखनऊ दिनांक ०७ जुलाई, २०११ द्वारा सूचित किया जाता है कि गव सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश २००७) की घारा ३७(२) के अध्यन आपके महाविद्यालय को स्ववित पौष्टि दोजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विद्या तंत्रज्ञानान्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में (१००-सीट) मै॒शैक्षणिक सत्र २०१०-११ के प्रीविएक्सल के अध्याद मे सत्र २०११-१२ ते॒ त्रु सबद्धता की पूर्णानुमति प्रदान कर दी है तथा प्रीविएक्सल पौष्टि हो जाने पर सत्र २०११-१२ से सबद्धता की (स्थायी) की पूर्णानुमति मानते हुये उक्त प्रव मे उल्लिखित चार शर्तों के अधीन १०० सीटों की प्रवेश भवता के साथ स्थायी सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित प्रव के परिवेक्ष्य मे मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दुःख है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम मे सम्बद्धता इस प्रतिवर्द्धन के साथ प्रदान की जाती है कि प्रवन्दत्र शासन दे उक्त प्रव दिनांक ०७ जुलाई, २०११ पे उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों के निम्नतर पूर्ण होते।

१. संस्था शौर्सनादेश सम्प्रा-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२, दिनांक ०२ जुलाई, २००३ मे उल्लिखित विद्या निर्देशों एवं इस विषय मे समय-समय पर निर्गत शासनादेशो को पालन करेगी।
२. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०ए० पाठ्यक्रम मे शासन द्वारा अनुसन्ध समस्त सीटों को सुसमान एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र मे होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा मे निर्भीत एवं ज्ञानसिद्धि के माध्यम से आवादेत अध्यार्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक विद्यार्थी मे पठन-पाठन कराया जायेगा।
३. पटि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमादली/अध्यादेशो मे दर्नित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी नियमादली को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान दी गयी सम्बद्धता विषये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
४. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी नियमानुसार को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों को अनुसाजन करेगी।

यदि प्रवन्दत्र शासन के उक्त वार्णित प्रव मे इगत ग्रहणीयों को सम्बद्धान्तर पूर्ण नहीं करता है तो सुसमान प्रदानको के अन्तर्गत संस्था को प्रदान दी गई सम्बद्धता द्वारा प्रव तिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कर्त करें।

भवदीय,

*Avadhikar/८३३२/१२*  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)  
*13/07/2012*

- प्रतीक्षाएः- १-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रव अवश्यक कार्यवाही देते अप्राप्तान्तर  
२-निम्नी सदिय दुलारी।  
३-संत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल शिक्षा परिषद, शालगंज, आगरा।  
४-अधीक्षक, एकेडमिल विभाग (उच्च परिषद)।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धन)